



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 751]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 5, 2017/भाद्र 14, 1939

No. 751]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 5, 2017/ BHADRA 14, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 सितंबर, 2017

सं 29/2017-केन्द्रीय कर

सा.का.नि. 1129(अ).—आयुक्त, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 168 के साथ पठित धारा 37 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक, धारा 38 की उपधारा (2) के पहले परंतुक तथा धारा 39 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सा.का.नि. 994(अ), तारीख 8 अगस्त, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित अधिसूचना सं. 18/2017-केन्द्रीय कर, 8 अगस्त, 2017, सा.का.नि. 995(अ), तारीख 8 अगस्त, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित अधिसूचना सं. 19/2017-केन्द्रीय कर, 8 अगस्त, 2017 और सा.का.नि. 996(अ), तारीख 8 अगस्त, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित अधिसूचना सं. 20/2017-केन्द्रीय कर, 8 अगस्त, 2017 को अधिकांत करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, नीचे की सारणी के स्तंभ (2) में यथाविनिर्दिष्ट उक्त सारणी के स्तंभ (3) में यथाविनिर्दिष्ट उक्त अधिनियम की धारा 37 की उपधारा (1), धारा 38 की उपधारा (2) और धारा 39 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट, यथास्थिति, व्यौरा या विवरणी देने की समय-सीमा को उक्त सारणी के स्तंभ (4) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट समयावधि तक बढ़ाते हैं, अर्थात्:—

सारणी

क्रम सं.	मास	विवरणी/व्यौरा	विवरणी/व्यौरा देने की समयावधि
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	जुलाई, 2017	प्ररूप जीएसटीआर-1	10 सितंबर, 2017 तक
		प्ररूप जीएसटीआर-2	11-25 सितंबर, 2017 तक
		प्ररूप जीएसटीआर-3	30 सितंबर, 2017 तक

2.	अगस्त, 2017	प्ररूप जीएसटीआर-1	5 अक्टूबर, 2017 तक
		प्ररूप जीएसटीआर-2	6-10 अक्टूबर, 2017 तक
		प्ररूप जीएसटीआर-3	15 अक्टूबर, 2017

[फा. सं. 349/74/2017-जीएसटी]

शंकर प्रसाद शर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th September, 2017

No. 29/2017-Central Tax

G.S.R. 1129(E).— In exercise of the powers conferred by the second proviso to sub-section (1) of section 37, first proviso to sub-section (2) of section 38 and sub-section (6) of section 39 read with section 168 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) and in supersession of notifications No. 18/2017-Central Tax, dated the 8th August, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 994 (E) dated the 8th August, 2017, No. 19/2017-Central Tax, dated the 8th August, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 995 (E), dated the 8th August, 2017 and No. 20/2017-Central Tax, dated the 8th August, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 996 (E), dated the 8th August, 2017, the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby extends the time limit for furnishing the details or return, as the case may be, specified in sub-section (1) of section 37, sub-section (2) of section 38 and sub-section (1) of section 39 of the said Act as specified in column (3) of the Table below for the month as specified in column (2) of the said Table, till the time period as specified in the corresponding entry in column (4) of the said Table, namely:—

TABLE

Sl. No.	Month	Details/Return	Time period for furnishing of details/Return
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	July, 2017	FORM GSTR-1	Up to 10 th September, 2017
		FORM GSTR-2	11 - 25 th September, 2017
		FORM GSTR-3	Up to 30 th September, 2017
2.	August, 2017	FORM GSTR-1	Up to 5 th October, 2017
		FORM GSTR-2	6 - 10 th October, 2017
		FORM GSTR-3	Up to 15 th October, 2017

[F. No. 349/74/2017-GST]

SHANKAR PRASAD SARMA, Under Secy.